

बिहार सरकार
उद्योग विभाग, बिहार, पटना

प्रेषक:-

पंकज कुमार सिंह,
उद्योग निदेशक,
बिहार, पटना।

सेवा में,

महाप्रबंधक,
सभी जिला उद्योग केन्द्र, बिहार।

पटना, दिनांक

विषय:- श्रीमती सुनीता पांडे एवं अन्य बनाम भारत सरकार एवं अन्य में दायर O.A No:-156 of 2015 (MA No.-474 of 2015) के माननीय National green Tribunal (NGT), नई दिल्ली द्वारा दिनांक-25.10.2015 को पारित आदेश के अनुपालन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुख्य सचिव बिहार सरकार की अध्यक्षता में दिनांक-10.05.2019 को हुई बैठक के क्रम में निदेशित किया गया है कि बियाडा के अतिरिक्त जिला में स्थापित इस तरह की ईकाईयाँ जो उत्पादों के निर्माण में इफ्लुएन्ट का डिसचार्ज (प्रोसेसेड जल निस्तरण) करती है की सूची नीचे दिए गए प्रपत्र में 15 दिनों के अंदर भेजना सुनिश्चित किया जाए। यह एन०जी०टी० न्यायालय से जुड़ा मामला है। अतः इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए।

विश्वासभाजन,


ह०/-

उद्योग निदेशक,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक.....1988...../

पटना/दिनांक.....17.10.2019

प्रतिलिपि:- आई०टी० प्रबंधक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


उद्योग निदेशक,
बिहार, पटना।

क्र०	ईकाई का नाम एवं पता/निबंधन संख्या	उत्पाद का नाम	इफ्लुएन्ट डिसचार्ज की मात्रा(लिटर में अनुमानित)	डिसचार्ज इफ्लुएन्ट पहुँचने का स्थान	अभियुक्ति